

प्रेस नोट

थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी

दिनांक – 30.05.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही,
- थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गया माल (कुल अनुमानित कीमत लगभग (09,50,347), एक अवैध तमंचा, कारतूस एवं 13,000 रुपए नगद बरामदा
- गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.05.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 243/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1. सलीम पुत्र साविर, निवासी अलीगोल खिड़की, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी, उम्र करीब 23 वर्ष 2. आकिप पुत्र रहीश, निवासी दतिया गेट अन्दर, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी, उम्र करीब 19 वर्ष 3. अमन पुत्र मुन्ना खान, निवासी अलीगोल खिड़की, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी, उम्र करीब 20 वर्ष को एजीबिशन सेन्टर के पास बने रेलवे अंडरपास के ऊपर रेल पटरी से, चौकी क्षेत्र ग्वालियर रोड थाना सीपरी बाजार झाँसी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सीपरी बाजार पर पंजीकृत अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2)/109(1) बी0एन0एस0 व 3/25/28 आर्म्स एक्ट की वृद्धि करते हुए अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.05.2026 को वादिया श्रीमती पूजा चौकसे पत्नी मयूर चौकसे निवासी ढोला बदलूराम, प्रेम नगर नगरा, झाँसी, हाल निवासी सीपी मिशन कम्पाउण्ड, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी द्वारा अज्ञात चोरों के विरुद्ध उनके कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात चोरी कर लेने के संबंध में थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0- 243/2026 धारा 331(4)/305 (ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

अभियोग के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार द्वारा उ0नि0 प्रदीप शर्मा, चौकी प्रभारी चमनगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया तथा प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1. सलीम पुत्र साविर निवासी अलीगोल खिड़की, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी, उम्र करीब 23 वर्ष, 2. आकिप पुत्र रहीश निवासी दतिया गेट अन्दर, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी, उम्र करीब 19 वर्ष एवं 3. अमन पुत्र मुन्ना खान निवासी अलीगोल खिड़की, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी, उम्र करीब 20 वर्ष को दिनांक 30.05.2026 को समय प्रातः 05:30 बजे एजीबिशन सेन्टर के पास बने रेलवे अंडरपास के ऊपर स्थित रेल पटरी, चौकी क्षेत्र ग्वालियर रोड, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए पीली एवं सफेद धातु के जेवरात, कुल 13,000/- रुपए नगद, एक अवैध तमंचा .315 बोर तथा कारतूस .315 बोर बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2)/109(1) बीएनएस एवं 3/25/28 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सलीम पुत्र साविर, निवासी अलीगोल खिड़की, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी, उम्र करीब 23 वर्ष।
2. आकिप पुत्र रहीश, निवासी दतिया गेट अन्दर, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी, उम्र करीब 19 वर्ष।
3. अमन पुत्र मुन्ना खान, निवासी अलीगोल खिड़की, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- एक देशी तमंचा .315 बोर
- दो जिन्दा कारतूस .315 बोर
- एक खोखा कारतूस .315 बोर
- एक मंगलसूत्र (पीली धातु)
- एक जोड़ी झुमकी (पीली धातु)
- दो जोड़ी कान के टाप्स (पीली धातु)
- दो अंगूठी (पीली धातु)
- एक पेंडेन्ट (पीली धातु)
- एक चैन सहित पेंडेन्ट (पीली धातु)
- दो नथ (पीली धातु)
- एक कड़ा (पीली धातु)
- एक बच्चों का आभूषण (पीली धातु)
- एक छोटी गाय (सफेद धातु)
- चार सिक्के (पीली धातु)
- एक नथ (सफेद धातु)
- चार जोड़ी पायल
- एक जोड़ी बच्चों का नजरिया
- एक जोड़ी झुमकी (सफेद धातु)
- 17 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु)
- कुल 13,000 रुपए नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. श्री जय प्रकाश चौबे, प्रभारी निरीक्षक, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
2. उ०नि० बृजेश कुमार साहू, चौकी प्रभारी लहरगिर्द, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
3. उ०नि० प्रदीप शर्मा, चौकी प्रभारी चमनगंज, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
4. का० सुशान्त कुमार
5. का० संजय यादव
6. का० कुलदीप यादव
7. रि०का० मनीष
8. रि०आ० ओम गुप्ता
9. रि०आ० गोपाल जी साहू
10. रि०आ० योगेन्द्र